२०१८/००८

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या–02 / 2018 आर.टी.आई.
दायर दिनांक– 13.03.2018
निर्णय दिनांक–02.04.2018

श्री कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड, निवासी मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ	बनाम	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :–

श्री कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड, निवासी मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 29.01.2018 को संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होने से उसके द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्र कमांक 1627 दिनांक 16.03.2018 से श्री कैलाश चन्द्र डाड द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील का जवाब चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी श्री कैलाश चन्द्र को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष / प्रति–उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 27.03.2018 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि दिनांक 29.01.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 01.02.2018 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा श्री हजारीदास वैष्णव, पूर्व सरपंच एवं श्री कन्हैयादास वैष्णव, सरपंच ग्राम पंचायत मण्डफिया, पचांयत समिति भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध लम्बित जांच में जांच रिपोर्ट आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं करने के लिये दोषी अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की सूचना चाही थी। इस हेतु प्रार्थी को कार्यालय के पत्र दिनांक 19.02.2018 से अवगत कराया गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना एक पृष्ठ की है, इस हेतु आप नियमानुसार शुल्क जमा करा कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब से अवगत कराया कि प्रार्थी श्री कैलाश चन्द्र डाड द्वारा कार्यालय के पत्र दिनांक 19.02.2018 से निर्धारित अवधि में

सूचित किये जाने के बावजूद नियमानुसार शुल्क जमा नहीं कराया, जिसके कारण की प्रार्थी को सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः सूचना प्राप्त न कराने के लिये प्रार्थी स्वयं दोषी है। वह आज भी नियमानुसार शुल्क के जमा होने पर सूचना उपलब्ध कराने के लिये तैयार है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं।

अपीलार्थी श्री कैलाश चन्द्र डाड ने लिखित प्रतिक्रिया दिनांक 23.03.2018 को प्रस्तुत की है।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब, अपीलार्थी की लिखित प्रतिक्रिया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में प्रार्थी को सूचना प्राप्ति हेतु शुल्क जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया था परन्तु प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा नहीं कराने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई।

लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना, प्रार्थी को नियमानुसार शुल्क जमा कराने पर तुरन्त उपलब्ध करावें तथा प्रार्थी अगर सूचना से असन्तुष्ट हो तो कार्यालय समय में रिकार्ड का अवलोकन करा, नियमानुसार सूचना उपलब्ध करावें।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01— लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
02— श्री कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड, निवासी मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर